

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक 3394 / 141 मथुरा, दिनांक 21/03/2020.

सेवा में,

प्रादेशिक प्रबन्धक, (नाम से)
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड,
प्लॉट-डी-1, रोड नं०-26, इण्डस्ट्रियल एरिया,
साइड-बी, पोस्ट-मथुरा रिफाइनरी, मथुरा ।

विषय :- जनपद मथुरा में मथुरा-सादाबाद मार्ग (एम०डी०आर०-102) कि०मी०-11 (चैनैज-10.735) के खसरा सं०-177 की बॉयी पटरी पर ग्राम मुबारकपुर बॉगर पर भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के न्यू आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य में प्रभावित होने वाली 0.03678 हे० संरक्षित वनभूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।

(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-एफ०पी०/यू०पी०/रोड़/42689/2019)

सन्दर्भ :- 1-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, पंचम, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/25/2020/एफ०सी०/610, दिनांक 18.03.2020
2-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ की पत्र संख्या-11सी/1906/11सी-एफ०पी०/यू०पी०/रोड़/42689/2019, दिनांक 19.03.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में आपको अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त निम्नलिखित बिन्दुओं पर अनुपालन आख्या छः-छः प्रतियों में इस कार्यालय में प्रेषित करने करने का कष्ट करें ताकि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों प्रेषित की जा सके ।

- 1- बिन्दु संख्या-1 के अनुपालन में Legal status of the forest land shall remain unchanged. की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
- 2- बिन्दु संख्या-2 के अनुपालन में Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation of 100 trees in (Compartment No./Khasra No. Not provided, Village-Peerpur, Tehsil-Chhata, District-Mathura) at the cost of the user agency. As far as practicable a mixture of local indigenous species shall be planted and monoculture of any species has to be avoided के क्रम में मु०-2,30,133/- (रु० दो लाख तीस हजार एक सौ तैंतीस मात्र) की धनराशि जमा कराई जाय ।
- 3- बिन्दु संख्या-3 के अनुपालन में The Cost of Compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per Compensatory afforestation scheme for plantation of 100 plants and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 years. The scheme will be for plantation of 100 trees and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years. Revised scheme to be submitted to this office. के क्रम में यह वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय कि क्षतिपूरक वनीकरण व अन्य निर्देशों के क्रम में जो धनराशि की मांग की जायेगी वह मांग के अनुरूप जमा कराई जायेगी ।
- 4- बिन्दु संख्या-4 के अनुपालन में The State Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 0.03678 ha. Forest area to be diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/01/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP(C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC(Pt-II) dated 18/09/2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03/10/2006 and 5-3/2007-FC dated 05/02/2009 in this regard. के क्रम में एन०पी०वी० की धनराशि मु०-23,024/- (रु० तेईस हजार चौबीस मात्र) की धनराशि जमा कराकर उसकी ई-रसीद की प्रति प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाय ।
- 5- बिन्दु संख्या-5 के अनुपालन में Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of Indian on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency. The User Agency shall furnish an undertaking to this effect. के क्रम में यह वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय, की भविष्य में एन०पी०वी० की दरों में संशोधन

- होने पर संशोधित दरों के अन्तर्गत धनराशि जमा कराई जायेगी ।
- 6- बिन्दु संख्या-6 के अनुपालन में Greenery will be maintained by user agency around Periphery of petrol pump. के क्रम में निर्देशों के अनुपालन हेतु वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
 - 7- बिन्दु संख्या-7 के अनुपालन में All the funds received from the User agency under the project shall be transferred/ deposited to CAMPA fund only through e-portal. के क्रम में धनराशि नियमानुसार जमा की गई है की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।
 - 8- बिन्दु संख्या-8 के अनुपालन में User agency shall use the land between entry and exit of petrol pump (156.00 m) for plantation and conservation of trees, the same shall be demarcated by 2 feet wall. के क्रम में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
 - 9- बिन्दु संख्या-9 के अनुपालन में Plantation shall also be done along the inside boundary of Fuel Station. के क्रम में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
 - 10- बिन्दु संख्या-10 के अनुपालन में Cost of felling of trees shall be deposited by User Agency with the State Forest Department. के क्रम में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
 - 11- बिन्दु संख्या-11 के अनुपालन में The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer. के क्रम में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
 - 12- बिन्दु संख्या-12 के अनुपालन में Certificate of DFO certifying that No. Violation of FC Act, 1980 has taken place in this proposed Retail outlet has to be submitted. के क्रम में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
 - 13- बिन्दु संख्या-13 के अनुपालन में The complete compliance of the FRA, 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector. के क्रम में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
 - 14- बिन्दु संख्या-14 के अनुपालन में Period of diversion shall be co-terminus with period of lease to be granted in favour of user agency or the project life, whichever is less. के क्रम में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
 - 15- बिन्दु संख्या-15 के अनुपालन में Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate Change may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife. के क्रम में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
 - 16- बिन्दु संख्या-16 के अनुपालन में Certificate of DFO certifying that the proposed RO is not in close proximity of any existing RO in accordance with MORTH guidelines dated 24.07.2013 has to provide. के क्रम में यह वचनबद्धता दी जाय कि तदनुसार दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
 - 17- बिन्दु संख्या-17 के अनुपालन में The compliance report shall be uploaded on e-portal (<https://parivesh.nic.in>) के क्रम में समस्त सूचनाएँ अपलोड कर दी गई है, की वचनबद्धता उपलब्ध कराई जाय ।

भवदीय,



(रघु नाथ मिश्रा)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।

पत्रांक

/ दिनांकित ।

1- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को संदर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

2- प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को संदर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

(रघु नाथ मिश्रा)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा ।

जनपद मथुरा में मथुरा-सादाबाद मार्ग (एम0डी0आर0-102) कि0मी0-11 (चैनेज-10.765) के खसरा सं0-177 मार्ग के बाँयी पटरी पर ग्राम मुबारकपुर बोंगर पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के न्यू रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 0.03678 हे0 संरक्षित वनभूमि प्रभावित होगी, के सम्बन्ध में पीरपुर वन ब्लाक में 100 पौधों के प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित प्राक्कलन

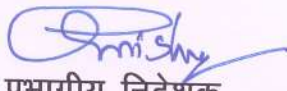
प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)					
क्र0 सं0	कार्य का विवरण	मात्रा/संख्या	इकाई	दर	धनराशि
1	2	4	5	6	7
1	क्षेत्र की सफाई करना	0.5	प्रति है0	10000	5000
2	सर्वेक्षण व सीमांकन	0.5	प्रति है0	48.98	24.49
3	पक्कि बन्धन	100	प्रति गद्दा	0.31	31.00
4	मृदा परीक्षण	0.5	प्रति है0	250.00	125
5	गद्दा खुदान कार्य (0.60x0.60x0.60)	100	प्रति गद्दा	17.50	1750
6	तारबाड़ हेतु सामग्री				
	अ- आर0सी0सी0 खम्भों का मूल्य मय कर सहित (1.5x0.10x0.80मी0)	100	प्रति कु0	404.00	40400.00
	ब- कॉटेदार तार का मूल्य (5 लड़)	3.33	प्रति कु0	8489.20	28269.04
7	अन्य व्यय				400.47
				योग:-	76000.00
द्वितीय चरण (वृक्षारोपण कार्य)					
1	गद्दों का भरान	100	प्रति	1.40	140.00
2	गद्दों/माउण्डों हेतु मृदा सुधारक/गोबर की खाद का प्रयोग	100	प्रति	9.92	992.00
3	पौध का मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध)	103	प्रति	70.00	7210.00
4	तारबाड़ कार्य				
	अ- आर0सी0सी0 खम्भों की ग्राउटी 6:3:1 सीमेन्ट कंक्रीट	100	प्रति	196.00	19600.00
	ब- खम्भों का स्थानीय ढुलान	100	प्रति	3.29	329.00
	स- तार की खिंचाई	200	प्रति	0.85	170.00
5	पौधों का ढुलान (3 प्रतिशत अतिरिक्त पौध) 10-20 किमी0	103	प्रति	17.50	1802.50
6	पौधों का स्थानीय ढुलान	100	प्रति	5.94	594.00
7	पौधारोपण, थाला बनवाई व तुरन्त सिंचाई	100	प्रति	4.90	490.00
8	निराई, गुड़ाई व मल्विंग निराई, गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति	1.12	336.00
9	सिंचाई कार्य नवम्बर से मार्च तक 12 बार	100x12	प्रति	2.89	3468.00
10	रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग मूल्य सहित	0.5	प्रति	600.00	300.00
11	वृक्षारोपण बोर्ड	1	प्रति	3000	3000.00
12	विभागीय ट्रैक्टर व ट्राली की मरम्मत आदि		अनुमानित	0	1625.00
13	वृक्षारोपण श्रमिक	50	प्रतिदिन	175	8750.00
14	अन्य आदृश्य व्यय	0.5		1100	550.00
				योग:-	49356.50
तृतीय चरण (अनुरक्षण प्रथम 20 प्रतिशत वीटिंग अप)					
1	सिंचाई अप्रैल से जून	80x6	प्रति	2.89	1387.20
2	वीटिंग अप हेतु गद्दा खुदान	20	प्रति	17.50	350.00
3	पौध कय	21	प्रति	70.00	1470.00
4	पौध ढुलान	21	प्रति	17.50	367.50
5	पौधों का स्थानीय ढुलान	20	प्रति	5.94	118.80

6	पौधारोपण	20	प्रति	4.90	98.00
7	निराई कार्य	100x3	प्रति	1.12	336.00
8	सिंचाई कार्य	100x12	प्रति	2.89	3468.00
9	रासायनिक/उर्वरक खाद	0.5	प्रति	600.00	300.00
10	तारबाड़ मरम्मत	1000	प्रति मी०	0.55	550.00
11	कीटनाषक दवा	1	प्रति	600.00	600.00
12	वृक्षारोपण श्रमिक	60	प्रतिदिन	175.00	10500.00
13	अन्य व्यय	0.5	प्रति	1100	550.00
				योग:-	20095.50
चतुर्थ चरण (अनुरक्षण द्वितीय 10 प्रतिशत वीटिंग अप)					
1	पौधों की सिंचाई कार्य अप्रैल से जून	90x6	प्रति	2.89	1560.60
2	असफल गड्डों का खुदान	10	प्रति	17.50	22.72
3	पौध कय	11	प्रति	70.00	704.00
4	पौध ढुलान	11	प्रति	17.50	192.50
5	पौधों का स्थानीय ढुलान	10	प्रति	5.94	48.30
6	रोपण	10	प्रति	4.90	39.80
7	निराई गुड़ाई	100x3	प्रति	1.12	336.00
8	सिंचाई अक्टूबर से मार्च	100x12	प्रति	2.89	3468.00
9	तारबाड़ की मरम्मत	400	प्रति मी०	0.55	220.00
10	श्रासायनिक/उर्वरक खाद कय	0.5	प्रति	600	300.00
11	कीटनाषक दवा कय	1	प्रति	600	600.00
12	वृक्षारोपण श्रमिक	60	प्रतिदिन	175.00	10500.00
13	अन्य व्यय	0.5	प्रति	525	262.50
				योग:-	18254.42
पंचम चरण (तृतीय अनुरक्षण)					
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	100x12	प्रति पौध	2.89	3468.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पौध	1.12	336.00
5	अन्य व्यय	0.5	0	525	262.50
	योग :-				4066.50
षष्ठम चरण (चतुर्थ अनुरक्षण)					
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	100x12	प्रति पौध	2.89	3468.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पौध	1.12	336.00
5	अन्य व्यय	0.5	0	525	262.50
	योग :-				4066.50
सप्तम चरण (पंचम अनुरक्षण)					
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	100x12	प्रति पौध	2.89	3468.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पौध	1.12	336.00
5	अन्य व्यय	0.5	0	525	262.50
	योग :-				4066.50
अष्टम चरण (षष्ठम अनुरक्षण)					
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	100x12	प्रति पौध	2.89	3468.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पौध	1.12	336.00
5	अन्य व्यय	0.5	0	525	262.50
	योग :-				4066.50
नवम् चरण (सप्तम अनुरक्षण)					
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	100x12	प्रति पौध	2.89	3468.00
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पौध	1.12	336.00
5	अन्य व्यय	0.5	0	525	262.50
	योग :-				4066.50

दशम चरण (अष्टम अनुरक्षण)				
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	100x12	प्रति पौध	2.89
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पौध	1.12
5	अन्य व्यय	0.5	0	525
	योग :-			262.50
				4066.50
एकादश चरण (नवम अनुरक्षण)				
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	100x12	प्रति पौध	2.89
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पौध	1.12
5	अन्य व्यय	0.5	0	525
	योग :-			262.50
				4066.50
द्वादश चरण (दशम अनुरक्षण)				
1	पौधों की सिंचाई 12 बार	100x12	प्रति पौध	2.89
2	पौधों की निराई गुड़ाई 3 बार	100x3	प्रति पौध	1.12
5	अन्य व्यय	0.5	0	525
	योग :-			262.50
				4066.50
	कुलयोग :-			196238.42

सारांश			
		वर्तमान दरों के अनुसार धनराशी	भविष्य में कार्य आरम्भ होने के कारण 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ोतरी के आधार पर धनराशी
1	अग्रिम मृदा कार्य एवं वृक्षारोपण कार्य	125356.50	125356.50
2	अनुरक्षण कार्य प्रथम	20095.50	24114.60
3	अनुरक्षण कार्य द्वितीय	18254.42	23730.75
4	अनुरक्षण कार्य तृतीय	4066.50	5693.10
5	अनुरक्षण कार्य चतुर्थ	4066.50	6099.75
6	अनुरक्षण कार्य पंचम	4066.50	6506.40
7	अनुरक्षण कार्य षष्ठम	4066.50	6913.05
8	अनुरक्षण कार्य सप्तम	4066.50	7319.70
9	अनुरक्षण कार्य अष्टम	4066.50	7726.35
10	अनुरक्षण कार्य नवम	4066.50	8133.00
11	अनुरक्षण कार्य दसम	4066.50	8539.65
	योग :-	196238.42	230132.85
	अथवा :-		230133.00

नोट :- श्रमिक तथा सामग्री दरों में वृद्धि होने के कारण अपर प्रमुख वन संरक्षक, उ०प्र०, लखनऊ के द्वारा हरित पट्टी पैटर्न वृक्षारोपणों की सीलिंग दरों में वृद्धि तथा आगामी वर्षों की वृद्धि को समायोजित करते हुए याचक विभाग से प्राक्कलन की धनराशि की मांग की जा रही है जो क्षतिपूर्क वनीकरण परियोजना हेतु आवश्यक है ।


 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मथुरा